भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1319**

27.07.2026 को उत्तर के लिए

**बूचड़खानों और वधशालाओं द्वारा अपशिष्ट उपचार अनुपालन**

1319 **डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के बहिःस्राव निपटान मानकों को पूरा करने वाले कार्यात्मक बहिःस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) का संचालन कर रहे पंजीकृत तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा अनुमोदित बूचड़खानों और वधशालाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और कार्यात्मक ईटीपी/सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के बिना या गैर-अनुपालन उपचार प्रणाली के साथ संचालित हो रहे ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या लाल-श्रेणी के उद्योगों के लिए वर्ष 2014 से सीपीसीबी द्वारा अनिवार्य किए गए कंटीन्यूअस ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम को ऐसे कारखानों में स्थापित किया गया है और क्या वे सीपीसीबी/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के सर्वर पर रियल टाइम डेटा प्रसारित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कारखानों में उपचारित बहिःस्राव के निपटान की अनुमोदित विधि क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जहां कारखानों ने बिना वैध प्राधिकार के नदियों, नालों या भूमि पर बहिःस्राव का निपटान किया है तथा कितना जुर्माना लगाया गया है या बंद करने के निदेश लागू किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ग):

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को मांस एवं मांस उत्पादों, मुर्गी-पालन एवं मुर्गी-पालन उत्पादों तथा डेयरी उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन

और विकास का दायित्व सौंपा गया है। APEDA द्वारा अनुमोदित पंजीकृत बूचड़खानों की सूची https://apeda.gov.in/List-Abattoirs-meat पर उपलब्ध है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओएफएफसीसी) ने अधिसूचना जी.एस.आर. 1016(ई) दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से बूचड़खानों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों और समुद्री खाद्य उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए मानक अधिसूचित किए हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से, बूचड़खानों या मांस प्रसंस्करण इकाइयों या दोनों के लिए पीएच, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), वातानीत ठोस पदार्थ और तेल एवं ग्रीस के मापदंडों पर अपशिष्ट जल मानदंड परिभाषित किए गए हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी), जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सहमति तंत्र के माध्यम से, प्रदूषण नियंत्रण उपायों जैसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी), सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की निर्धारित करके और संचालन तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी करती हैं और अपशिष्ट निर्वहन मानकों के अनुपालन की निगरानी करके उद्योगों तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों के प्रतिष्ठानों तथा संचालनों की निगरानी करती है। निरीक्षणी उपचार सुविधाओं की पर्याप्तता और प्रदर्शन का आकलन करना तथा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ) में निर्धारित निर्वहन शर्तों के अनुपालन को करने के लिए किए जाते है।

स्व-नियमन को मजबूत करने के लिए, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, घोर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) और सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन/उपचार सुविधाओं की 17 श्रेणियों को एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी के सर्वर से कनेक्टिविटी के साथ वास्तविक समय की निगरानी और अलर्ट प्रणाली के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करना अनिवार्य है।

ओसीईएमएस से प्राप्त अलर्ट के आधार पर, सीपीसीबी चुनिंदा उद्योगों का औचक निरीक्षण भी करता है। निरीक्षण के दौरान अनुपालन न पाए जाने पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने, बंद करने का निर्देश देना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने जैसी उचित कार्रवाई की जाती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का विवरण सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.gov.in/cpcb-directions-5cp.php पर उपलब्ध है।

****